

प्रारूप-9  
नियम 8(2) देखिये

संख्या 03339/2019-2020

दिनांक 06/03/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या:R/LUC/06040/2019-2020

पत्रावली संख्या:I-160490

दिनांक:2009-2010

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ठाकुर गुरुबन्ध सिंह सेंगर मेमोरियल सोसाइटी, 93, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड,, लखनऊ, 226023 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 3410-2009-2010 दिनांक-23/02/2010 को दिनांक-23/02/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1000 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।




Digitally Signed By  
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)  
572E833120B2128D9DAA66F36AED95A3DF6233DE

Date: 06/03/2020 12:10:33 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-06/03/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

Manager  
R.B.S. Global Public School  
Sohramau-Unnao



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AD 821879

समक्ष डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ।

शपथ-पत्र

मै नितिन कुमार सिंह आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र श्री राम बहादुर सिंह निवासी 93 बंगला, कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ शपथ पूर्वक बयान करता हूँ।

यह कि शपथी संस्था ठाकुर गुरुबक्श सिंह सेंगर मेमोरियल सोसाइटी, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ का निर्विवाद सचिव/प्रबन्धक है। शपथी उपरोक्त संस्था के सचिव पद पर साधारण सभा की बहुमत के 3/4 पर चयानित है।

2. यह कि संस्था प्रबन्धसमिति किसी भी कार्यालय/न्यायलय में विवादित नहीं है।
3. यह कि संस्था को किसी विभाग अथवा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. यह कि संस्था को किसी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
5. संस्था के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम सम्पादित होते हैं।
6. संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं किया जाता है।
7. सचिव/प्रबन्धक को सही जानकारी न होने के कारण नवीनीकरण नहीं करा सका, भविष्य में समय से नवीनीकरण कराया जायेगा।


Manager  
R.B.S. Global Public School  
Sohraua

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त धारा 1 से 7 मेरे निजी ज्ञान व विवेक में सही व सत्य है आज दिनांक 23.03.2018 को लखनऊ कचेहरी में अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर




SWORN & VERIFIED  
BEFORE ME

Chandan Saxena  
Notary  
Ref. No. 31/78/2001  
17/35, Vikas Nagar  
Lucknow, U.P. India

## स्मृति पत्र

- (1) संस्था का नाम :: ठाकुर गुरुबक्श सिंह सेंगर मेमोरियल सोसाइटी ।  
(2) संस्था का पता :: 93, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड़, लखनऊ ।  
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।  
(4) संस्था के उद्देश्य ::

1. जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक आध्यात्मिक विकास करना ।
2. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/ बालिका विद्यालयों/ महाविद्यालयों / कालेज / विकलांग विद्यालयों/ आवासीय विद्यालयों / कालेजों की स्थापना कर जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था राज्य एवं के-सरकार के मानक के अनुसार करना ।
3. ज्ञान वर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना ।
4. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिता वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य मेला, कवि सम्मेलन, योग कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिवि सामाजिक जागरूकता आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
5. महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं, को सिलाई कढ़ाई, बुनाई, दरदोजी, शिल्पकला, हर शिल्प ललितकला, संगीत, साहित्य, अभिनय, गायन, वादन, फोटोग्राफी, क्रियेटि राइटिंग, जरी, चिकन, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, दरदोजी, डाल मेकिंग फलावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, पेंटिंग वाल पेन्टिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भाव जागृत करना ।
6. समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, मंद बुद्धि लोगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों, बुनकरो, दरतकारों, हरतशिल्पियों, निराश्रित बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना ।
7. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछ जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना ।
8. सामाजिक एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव शिविरों का आयोजन करना तस सभी धर्म के लोगों में आपसी सौहार्द एवं बंधुत्व की भावना जागृत करना ।
9. युवा एवं महिला विकास हेतु समूह बनाकर विकास कार्य करना ।
10. समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहक बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ इवाकरा, सिफसा, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफे इंडिया, केयर राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठ अल्पसंख्यक विभाग उ०प्र० एवं केंद्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय पिछ आयोग, राष्ट्रीय स्वच्छकार वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग कल्या निदेशालय उ०प्र०, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग कल्या निदेशालय, उद्यान विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सीमैप, द्वारा संचालित महि एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, कृ विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।



Manager  
R.B.S. Global Public School  
Kanpur-1100

1 3211 R+E  
2 Nayab Kumar Singh  
3 Nishu  
4 अंजली सिंह  
Ashok Kumar

21/11/14

11. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तीकरण, बालिका सशक्तीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, वेश्यावृत्ति उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, गरीबी उन्मूलन, मलिन बस्ती विकास, वैज्ञानिक खोज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, ऊसर बंजर भूमि सुधार, भूमि विकास, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, गौ संरक्षण, गौ पालन, भूमि एवं जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशु-पक्षी (जीव-जन्तु) संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

12. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप-शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।

13. इंजीनियरिंग कालेज, डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना शासन की अनुमति से करना एवं शासन के आदेशानुसार शिक्षण व्यवस्था करना।

14. एड्स, कैंसर, पोलियो, टी0बी0, मधुमेह, आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान एवं रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।

15. जन हितार्थ निःशुल्क धर्मार्थ-चिकित्सालय, मोबाइल चिकित्सालय अनाथालय छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाड़ी आंगनवाड़ी, आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

16. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेय जल एवं जल व भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना तथा ग्रामीण अंचलों में तालाब, हैण्डपम्प, नाली, संपर्क मार्ग सड़क, लाइट, खडन्जा आदि की निःशुल्क व्यवस्था हेतु प्रयास करना।

17. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।


18. साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं वाणिज्य विषयक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना तथा समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुष्ठाहार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था करना।

19. ट्राइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बेरोजगारों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा उद्यमित विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।

20. नयी युवा प्रतिभावों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

21. जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बां में लोगों को जानकारी देना तथा जड़ी बूटियों की खेती करने हेतु कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना तथा कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु सर्वेक्षण, शोध एवं अनुसंधान कार्य करना।

22. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार प्रसार करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना।



उमा सिंह

2 Navmeet kumar Singh

3 Navmeet

4 अंजली सिंह

Ashok Kumar

Car

२६/११/१५

(5)

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

(11) संस्था का कोष ::

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीय बैंक / स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक / सहकारी बैंक / शेड्यूल्ड बैंक / पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन (आहरण) प्रबन्धक / सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(12) संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व  
संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक / सचिव पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्वयित पर होगा।

(14) संस्था के अभिलेख ::

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. एजेण्डा रजिस्टर।
5. कैश बुक आदि।


(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

हस्ताक्षर::

Manager  
R.B.S. Global Public School  
Sohramau-Unnao



1. उमा सिंह
2. Navneet Kumar Singh
3. [Handwritten signature]

(3)

(5) प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती उमा सिंह पत्नी श्री राम बहादुर सिंह	93, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड़, लखनऊ	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री नवनीत कुमार सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह	93, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड़, लखनऊ	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्री नितिन कुमार सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह	93, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड़, लखनऊ	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवा
4	श्रीमती अंजलि सिंह पत्नी श्री नवनीत कुमार सिंह	93, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड़, लखनऊ	उपप्रबन्धक / उपसचिव	समाजसेवा
5	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप	के-515, इन्द्रलोक कालोनी, कृष्णानगर, कानपुर रोड़, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
6	श्री मो०पयाम हैदर पुत्र श्री इसहाक हुसैन	बी-28, अशोक बिहार, खुरमनगर, लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री महेश प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ	ग्राम मानपुर पोस्ट घुरतेनपुर, जिला बांदा	सदस्य	समाजसेवा

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक :

हस्ताक्षरः

1. उमा सिंह

2. Navneet Kumar Singh


3.

4. अंजली सिंह

5. Ashok Kumar

6.

7. महेश प्रसाद



Manager  
R.B.S. Global Public School  
Sohramau-Unnao

## नियमावली

- (1) संस्था का नाम :: ठाकुर गुरुबक्श सिंह सेंगर मेमोरियल सोसाइटी ।  
(2) संस्था का पता :: 93, बजरंग नगर, कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ ।  
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।  
(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

सदस्यता ::

इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आस्था रखते हों सदस्य बनाये जा सकेंगे। सदस्यता हेतु अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

आजीवन सदस्यः

जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 5000/- नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 100/- वार्षिक प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

संरक्षक सदस्य ::

समाज के प्रतिष्ठित, सुशिक्षित एवं गणमान्य व्यक्ति जैसे विधायक, सांसद, कलाकार, पत्रकार, शिक्षाविद एवं अन्य प्रतिष्ठित व समाजसेवी व्यक्ति, प्रशासनिक एवं अन्य उच्च सेवाओं के व्यक्तियों को प्रबन्ध-कारिणी समिति के अनुमोदन से संस्था का संरक्षक सदस्य मनोनीत किया जायेगा।

(5) सदस्यता की समाप्तिः

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
6. अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग-पत्र पारित होने पर।
7. बिना सूचना दिये लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर

(6) संस्था के अंगः


- (अ) साधारण सभा।  
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभाः  
गठन ::

संस्था के आजीवन सदस्यों, सामान्य सदस्यों एवं संरक्षक सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

1 उमा सिंह

2 Nameet Kumar Singh



Manager  
R.B.S. Global Public School  
Sohramau-Unnao

बैठकें ::

(2)

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एकबार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1-प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
- 2-संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- 3-संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, एवं परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन ::

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें, अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-एक, प्रबन्धक/सचिव-एक उपप्रबन्धक/उपसचिव-एक, सदस्य-02 होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी। आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या बढ़ाई व घटाई भी जा सके परन्तु न्यूनतम संख्या 7 व अधिकतम संख्या 21 तक ही की जा सकेगी।

बैठकें ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति होगी।

13/3/18

Navneet Kumar Singh





रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

(3)

प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1-संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
- 2-संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयारकरना।
- 3-उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिफसा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, आक्सकाम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, कैयर, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र०, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, वन विभाग, वन मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, पशुधन विकास मंत्रालय, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उ०प्र०/केंद्रीय महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्प संख्यक विभाग/बोर्ड उ०प्र०, अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउण्डेशन, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग उ०प्र०, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों वित्तीय निगमों, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्रोतों से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
- 4-संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।
- 6-सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में शिक्षण की व्यवस्था करना।
- 7-संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार साधारण सभा के बहुमत से करना, उनका कार्य निर्धारण करना तथा उन पर नियन्त्रण रखना।

कार्यकाल ::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा।


(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

- 1-समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2-बैठकों के लिए तिथि अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
- 3-समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
- 4-बैठक में शांति व्यवस्था कायम करना।
- 5-सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान करना।
- 6-संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

उमा सिंह

Navneet Kamor Singh



(4)

उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को पूरा करेगा एवं उसके कार्यों में सहयोग करेगा।

प्रबन्धक/सचिव ::

- 1-संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
- 2-प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- 3-पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
- 4-राजकीय सहायता, अनुदान, ऋण प्राप्त करना।
- 5-संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना।
- 6-वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि निलम्बन व बहाली करना।
- 7-समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
- 8-संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
- 9-संस्था से सम्बन्धित समस्त बिल व वाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, संविदों, आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों, लेखों-विलेखों, बन्धक पत्रों, ऋण पत्रों, डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
- 10-संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
- 11-बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
- 12-बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
- 13-सदस्यों का नाम रजिस्टर पर लिखना।
- 14-संस्था की ओर से सामान्य पत्र व्यवहार करना।
- 15-संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
- 16-संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

उपप्रबन्धक/उपसचिव ::

- 1- प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में कार्य करना एवं उसके कार्यों में सहयोग करेगा।
- 2-आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
- 3-दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।
- 4-समिति के आकस्मिक कार्य हेतु 5000/-रूपये तक नकद रखना।
- 5-प्रबन्धक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
- 6-संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

1/ 321121E

2 Navneet Kumar Singh  
3/1/21

